A — शिक्षा एवं प्रशिक्षण

सरकारी डिग्री कॉलेज

यह संस्थान क्या है

सरकारी डिग्री कॉलेज किसी जिले में स्नातक शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। यह स्नातक डिग्री कार्यक्रम — कला स्नातक (BA), विज्ञान स्नातक (BSc), वाणिज्य स्नातक (BCom), और कभी-कभी कंप्यूटर अनुप्रयोग स्नातक (BCA) या व्यवसाय प्रशासन स्नातक (BBA) — एक राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध रूप में प्रदान करता है। छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए, यह यात्रा-योग्य दूरी पर डिग्री हेतु सबसे किफायती और अक्सर एकमात्र सुलभ विकल्प है। कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है, और यह डिग्री अधिकांश सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए न्यूनतम योग्यता है। यह राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), छात्रवृत्ति पहुँच, और करियर मार्गदर्शन के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।

अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 और UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट ढाँचे के अनुरूप, अनेक प्रवेश/निकास बिंदुओं वाले चार-वर्षीय स्नातक प्रारूप, पोर्टेबल क्रेडिट के लिए शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (Academic Bank of Credits — ABC), और व्यावसायिक एवं कौशल पाठ्यक्रमों के एकीकरण की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। आपका कॉलेज परिवर्तित हो चुका है या नहीं, यह संबद्ध विश्वविद्यालय के कैलेंडर पर निर्भर करता है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप डिग्री प्राप्त कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं, तो आप संभवतः यहीं अध्ययन करेंगे। यहीं आपके छात्रवृत्ति आवेदन सत्यापित होते हैं और प्लेसमेंट ड्राइव एवं प्रतियोगी परीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम (यूजीसी), 1956	संकाय, अवसंरचना, और प्रशासन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ढाँचा	गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली; पारंपरिक श्रेणीबद्ध ढाँचे (A++/A+/A/B/C) से बायनरी (मान्यता प्राप्त / मान्यता प्राप्त नहीं) मॉडल और वैकल्पिक परिपक्वता-आधारित श्रेणीबद्ध स्तर (MBGL) की ओर परिवर्तित हो रहा है; केंद्रीय अनुदानों की पात्रता को प्रभावित करता है
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA, पूर्व राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), जून 2023 में पुनर्नामित)	राज्य उच्च शिक्षा के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना (अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 केंद्र:राज्य; पूर्वोत्तर क्षेत्र, J&K, HP और उत्तराखंड के लिए 90:10; विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय)
यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता) विनियम, 2012 (SC/ST/OBC/PwD के लिए EOC अनिवार्य); 2026 के उत्तरवर्ती विनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित	जाति, दिव्यांगता और अन्य समता-आधारित चिंताओं के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ का आदेश
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पॉश), 2013	यूजीसी प्रत्येक कॉलेज में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन का आदेश देता है

- **केंद्र:** यूजीसी और NAAC (राष्ट्रीय मानक) → PM-USHA वित्त-पोषण (pmusha.education.gov.in)
- **राज्य:** राज्य उच्च शिक्षा विभाग → उच्च शिक्षा निदेशालय → संबद्ध राज्य विश्वविद्यालय
- **संस्थान:** प्रधानाचार्य
- **संस्थागत निरीक्षण (वैधानिक समितियाँ):**
- **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC)** — सभी 2(f)/12B कॉलेजों के लिए यूजीसी द्वारा अनिवार्य; प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में, एक वरिष्ठ संकाय समन्वयक के साथ; NAAC को प्रस्तुत होने वाली वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (AQAR) तैयार करता है
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC)** — पीठासीन अधिकारी एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य होनी चाहिए; न्यूनतम चार सदस्य; कम से कम एक बाहरी सदस्य गैर-सरकारी संगठन (NGO) या विधिक पृष्ठभूमि से; पॉश के अनुसार शिकायत मिलने पर बैठक करती है
- **समान अवसर प्रकोष्ठ (EOC)** — यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता) विनियम, 2012 (SC/ST/OBC/PwD के लिए EOC अनिवार्य); 2026 के उत्तरवर्ती विनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित
- **रैगिंग-विरोधी समिति** और **रैगिंग-विरोधी दस्ता** — यूजीसी 2009 विनियमों के अनुसार, प्रधानाचार्य के अंतर्गत गठित; संरचना में संकाय, गैर-शिक्षण स्टाफ, छात्र प्रतिनिधि, और स्थानीय नागरिक एवं पुलिस प्रशासन शामिल हैं
- **महिला विकास प्रकोष्ठ** — यूजीसी द्वारा अनिवार्य, छात्र प्रतिनिधित्व के साथ संकाय समन्वयक
- **सहायता प्राप्त / अनुदान-सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए:** राज्य विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार शासी निकाय या कॉलेज विकास समिति
- **वित्त-पोषण:** मुख्यतः राज्य द्वारा वित्त-पोषित; अधिकांश राज्यों के लिए PM-USHA 60:40 पर (पूर्वोत्तर क्षेत्र, J&K, HP, उत्तराखंड के लिए 90:10; विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय); विशिष्ट प्रयोजनों के लिए यूजीसी अनुदान

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
प्रधानाचार्य	कॉलेज के प्रमुख; प्रशासन, शैक्षणिक समन्वय, सरकारी पत्राचार
विभागाध्यक्ष (HOD)	पाठ्यक्रम वितरण और विभागीय संसाधनों का प्रबंधन करते हैं
अतिथि / संविदा प्राध्यापक	शिक्षण का बड़ा हिस्सा संभालते हैं; अस्थायी अनुबंधों पर नियुक्त
छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी / संस्थान नोडल अधिकारी (INO)	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर छात्रवृत्ति सत्यापन संभालने वाले संकाय सदस्य
प्लेसमेंट अधिकारी	प्लेसमेंट गतिविधियों का अतिरिक्त प्रभार वाले संकाय सदस्य
IQAC समन्वयक	वरिष्ठ संकाय (अतिरिक्त प्रभार या पूर्णकालिक); आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन का समन्वय करते हैं और NAAC के लिए वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट (AQAR) तैयार करते हैं
NSS कार्यक्रम अधिकारी / NCC एसोसिएट अधिकारी (ANO)	जहाँ स्वीकृत हो, NSS यूनिट (सामुदायिक सेवा घंटे, शिविर) या NCC यूनिट (परेड, प्रशिक्षण) का अतिरिक्त प्रभार वाले संकाय सदस्य

अनिवार्य सेवाएँ

- 3- या 4-वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम संचालित करना (NEP 2020 के अनुसार और संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट ढाँचे को अपनाने के अनुसार अनेक प्रवेश/निकास बिंदुओं के साथ) और आंतरिक मूल्यांकन करना
- अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अल्पसंख्यक / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों के लिए NSP के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदनों का प्रसंस्करण
- NSS यूनिट चलाना (प्रति वर्ष 120 घंटे सामुदायिक सेवा) और जहाँ स्वीकृत हो वहाँ NCC यूनिट
- 2013 के अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन और प्रदर्शन
- कैम्पस विज़िट और जॉब फेयर सूचना के लिए करियर मार्गदर्शन या प्लेसमेंट प्रकोष्ठ का रखरखाव
- पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, और एक वाचनालय के साथ पुस्तकालय का रखरखाव
- खेल सुविधाएँ प्रदान करना और अंतर-कॉलेज कार्यक्रम संचालित करना

संबंधित योजनाएँ

- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (NSP)** — SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/EWS विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता
- **केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति** — कक्षा 12 में 80वें प्रतिशतक से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए, जिनकी पारिवारिक आय ₹4.5 लाख से कम है, स्नातक स्तर पर ₹12,000-20,000 प्रति वर्ष
- **PM-USHA** — अवसंरचना अनुदान और समता पहल; डिग्री कॉलेज के लिए प्रासंगिक घटक: कॉलेजों को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान (Grants to Strengthen Colleges — GSC) ₹5 करोड़ तक, नए मॉडल डिग्री कॉलेज (New Model Degree Colleges — NMDC) ₹15 करोड़ तक, 50 जिलों में लिंग समावेशन एवं समता पहल (Gender Inclusion and Equity Initiatives — GIEI) प्रति जिला ₹10 करोड़ तक
- **NSS** — सामुदायिक सेवा यूनिटों और शिविरों के लिए वित्त-पोषण
- **NAAC मान्यता** — प्रतिष्ठा और अनुदान पात्रता को प्रभावित करने वाली गुणवत्ता ग्रेडिंग

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: aishe.gov.in (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण) — नामांकन, संकाय, और पाठ्यक्रमों के लिए राज्य और जिले से खोज करें; मान्यता स्थिति के लिए naac.gov.in भी देखें; राज्य पोर्टल: UP (uphed.gov.in), राजस्थान (hte.rajasthan.gov.in)

इसके अलावा: सभी संबद्ध कॉलेजों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील सरकारी डिग्री कॉलेज में होनी चाहिए: सभी अनुभागों के लिए पर्याप्त कक्षाएँ, उपकरण सहित कार्यशील विज्ञान प्रयोगशालाएँ, वाचनालय और डिजिटल पहुँच के साथ पुस्तकालय, शौचालय पहुँच के साथ बालिका कॉमन रूम, अलग-अलग कार्यशील शौचालय ब्लॉक, इंटरनेट सहित कंप्यूटर केंद्र, खेल सुविधाएँ, और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के लिए समर्पित स्थान।

एक क्रियाशील सरकारी डिग्री कॉलेज कैसा दिखता है

- स्थायी संकाय पद काफी हद तक भरे हुए हैं, और सभी विभागों में शिक्षण हो रहा है
- पुस्तकालय खुला और कार्यरत है, हाल ही में पुस्तकें खरीदी गई हैं
- ICC की संरचना सूचना बोर्डों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है
- प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के पास पिछले स्नातक बैच का कैम्पस भर्ती ड्राइव डेटा है
- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में NSS/NCC गतिविधियाँ संचालित की गई हैं
- वर्तमान चक्र के छात्रवृत्ति आवेदन NSP के माध्यम से संसाधित किए जा चुके हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु प्रधानाचार्य हैं, और मामला-विशिष्ट मुद्दों के लिए विभागाध्यक्ष, छात्रवृत्ति INO, प्लेसमेंट अधिकारी, या ICC पीठासीन अधिकारी। समान अवसर प्रकोष्ठ (EOC) यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता) विनियम, 2012 के अंतर्गत जाति, दिव्यांगता और अन्य समता-आधारित शिकायतों को संभालता है; 2026 के उत्तरवर्ती विनियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित हैं। छात्र कल्याण के डीन कॉलेज के अंदर वृद्धि-बिंदु हैं।

सेवा के बाद। मामला संबद्ध राज्य विश्वविद्यालय (शैक्षणिक मामले), राज्य उच्च शिक्षा निदेशालय (प्रशासनिक), और नियामक मामलों के लिए यूजीसी तक बढ़ाया जाता है। राज्य महिला आयोग लिंग-संबंधी शिकायतें संभालता है।

बाहरी। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की शिकायतें स्वीकार करती है। यूजीसी ugc.gov.in पर एक समर्पित शिकायत पोर्टल चलाता है। NAAC के पास naac.gov.in पर एक फीडबैक चैनल है। रैगिंग के लिए, राष्ट्रीय रैगिंग-विरोधी हेल्पलाइन (1800-180-5522 / helpline@antiragging.in) के पास वैधानिक क्षेत्राधिकार है। पॉश के उल्लंघन जो आंतरिक रूप से नहीं सुलझाए जाते, उन्हें जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति और फिर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक बढ़ाया जा सकता है।